

93

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I/93/PM/9/2

New Delhi, dt. 25.5.93

The General Manager (A/Cs)
All Indian Railways &
Production Units.

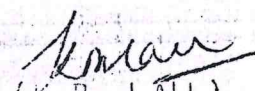
Sub: Minimum service condition for
Appendix-2(IREM) qualified Jr.
Stenographers for their promotion
as Accounts Assistants.

In terms of Board's letter No.E(NG)I/85/PM1/13
(RRC) dated 13.2.90, a Senior Typist of Accounts Department
who has become JAA, on passing the Appendix-2(IREM)
Examination is allowed to count the service in scale
Rs.1200-2040 as Senior Typist towards the minimum prescribed
limit of three years service in grade Rs.1200-2040 for
promotion as Accounts Assistant.

2. It is further clarified that Jr. Stenographers
(Rs.1200-2040) of Accounts Department, on passing the
Appendix-2(IREM) Examination may also be allowed to count
their service in grade Rs.1200-2040 as Jr. Stenographers
towards the minimum prescribed limit of 3 year service for
their promotion as Accounts Assistants.

3. Please acknowledge receipt.

(This disposes of S.E. Railway's letter
No. Admn/SE/165/Pt.V/App.2 & 3/2440
dated 26.8.1992).


(K.B. LALL)
DIRECTOR ESTABLISHMENT(N)
RAILWAY BOARD.

Copy to AC II Branch, Rly. Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड

सं. ईएन जी॥ 1/93/पी एम/9/2.

नई दिल्ली, दिनांक 25.5.1993

महाप्रबंधक/लेखा,

सभी भारतीय रेलें एवं

उत्पादन इकाइयां.

विषय: - एपेंडिक्स-2/आई आर ई एम/ अर्हता प्राप्त कनिष्ठ
आशुलिपिकों के लिए लेखा सहायकों के रूप में उनकी
पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा शर्त.

बोर्ड के 13.2.90 के पत्र सं. ईएन जी॥ 1/85/पी एम 1/13 के
अनुसार, लेखा विभाग के एक वरिष्ठ टंकक, जो एपेंडिक्स-2/आई आर ई एम/
परीक्षा पास करके कनिष्ठ लेखा सहायक बन गया है, को 1200-2040/-रूपये
के ग्रेड में लेखा सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए तीन वर्ष की सेवा की न्यूनतम
निर्धारित सीमा के लिए वरिष्ठ टंकक के रूप में 1200-2040/-रूपये के वेतनमान
में सेवा को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लेखा विभाग के कनिष्ठ आशुलिपिकों
1200-2040/-रु. के भी, एपेंडिक्स -2 /आई आर ई एम/ परीक्षा पास कर
लेने पर, लेखा सहायक के रूप में उनकी पदोन्नति के लिए 3 वर्ष की सेवा की
न्यूनतम निर्धारित सीमा के लिए कनिष्ठ आशुलिपिक के रूप में 1200-2040/-रु.
के ग्रेड में उनकी सेवाओं को जोड़ने की अनुमति दी जाए।

3. कृपया पावती दें।

इससे द. पू. रेलवे के 26.8.1992 के पत्र सं.

एडमि./एस ई/165/पार्ट-5/एच. 2 एंड 3/2440

का निपटारा हो जाता है।


कै. बी. लाल

निदेशक स्था. अराज.

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: लेखा-1। शाखा, रेलवे बोर्ड.